

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत वांछित सूचना/प्रमाणित छाया प्रतिलिपियां प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र।

सेवा में,

✓ लोक सूचना अधिकारी/सक्षम अधिकारी

पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, क्षेत्रीय मुख्यालय उत्तरी क्षेत्र-1  
एस०सी०ओ० 5 से 10, सैक्टर 16ए, निकट मेट्रो हॉस्पिटल,  
फरीदाबाद-121 002 हरियाणा।

महोदय,

आवेदक को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनाओं/प्रमाणित छाया प्रतिलिपियों की यथाशीघ्रता से आवश्यकता है। आवेदन पत्र के शुल्क के रूप में नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर सं० IN-UK01126316364813W dt. 27.01.2024 मूल्य ₹ 10/- भरकर मूल रूप में संलग्न कर प्रेषित है। प्रतियों का अनुमानित शुल्क ₹ 100/- भारतीय पोस्टल आर्डर सं० 53एच 319191, व ₹ 100/- भारतीय पोस्टल आर्डर सं० 53एच 319192, व ₹ 100/- भारतीय पोस्टल आर्डर सं० 53एच 319195, प्रतियों का कुल शुल्क ₹ 300/- भरकर मूल रूप में संलग्न है। अन्य प्रतियों का जो भी शुल्क बनता है वह बताये जानें पर आवेदक देने को तैयार है।

सन्दर्भ- श्री शेर सिंह, समर सिंह, ऋषिपाल पुत्रगण लालसिंह नि० ग्राम बेलडी साल्हापुर, परगना व तहसील रुडकी, जिला हरिद्वार द्वारा कृषि भूमि खाता संख्या 00265 के खसरा सं० 88/1 व 2 क्षेत्रफल 0.9830 हैक्टेयर स्थित मौजा बेलडी साल्हापुर, परगना व तहसील रुडकी, जिला हरिद्वार भूमि की बाबत जाली व फर्जी एन्ट्री कर कराकर पेडों को वर्ष 2013, 2014 व 2015 की जिस समयावधि के दौरान कटवाये जाने का पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन से मुआवजा प्राप्त करने सम्बन्धी अभिलेखीय सूचना/प्रमाणित छाया प्रतिलिपियां।

1- यह कि पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन द्वारा मौजा ग्राम बेलडी साल्हापुर, परगना व तहसील रुडकी, जिला हरिद्वार में लाईन बिछाने हेतु वर्ष 2013, 2014, 2015 की जिस समयावधि में जिन जिन काश्तकारों की भूमि में को लाईन बिछायी गयी, उन प्रभावित काश्तकारों के नाम, पिता का नाम व पता व भूमि खसरा सं० की अभिलेखीय सूचना/प्रमाणित छाया प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।

2- यह कि उक्त मौजा बेलडी साल्हापुर की जिस जिस भूमि में पॉवर ग्रिड लाईन बिछायी गयी, उस भूमि के प्रत्येक प्रभावित काश्तकार के लाईन क्षेत्र में जितने जितने पेड जिस जिस प्रजाति के सर्वे में पाये गये, सर्वे सीट की प्रमाणित छाया प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।

3- यह कि उक्त सर्वे सीट के अनुसार सहखातेदारों श्री शेर सिंह, समर सिंह, ऋषिपाल पुत्रगण लालसिंह नि० ग्राम बेलडी साल्हापुर, परगना व तहसील रुडकी, जिला हरिद्वार की उक्त कृषि भूमि खाता संख्या 00265 के खसरा सं० 88/1 व 2 क्षेत्रफल 0.9830 हैक्टेयर स्थित मौजा बेलडी साल्हापुर, परगना व तहसील रुडकी, जिला हरिद्वार में पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन द्वारा विद्युत पारेशन लाईन स्थापित करने के

लिये उक्त भूमि में दर्शित पेड़ों पोपुलर, आम 95 पेड़, शीशम 7 पेड़, जमोया 5 पेड़, कुकाट 1 पेड़, लिप्टिस को वर्ष 2013, 2014, 2015 जिस समयावधि में पाये गये, उद्धरण खतौनी व सर्वे सीट की प्रमाणित छाया प्रतिलिपि उपलब्ध कराये।

4- यह कि बिन्दु सं0 3 के काश्तकारों की भूमि में उक्त पॉवर ग्रिड लाईन बिछाने हेतु जिस जिस प्रजाति के जितने जितने पेड़, जितने-2 घनमीटर लकड़ी की पैमाईश के पाये गये, जिनका मुआवजा जिस आधार पर निर्धारित किया गया, कैलकुलेशन सीट की प्रमाणित छाया प्रतिलिपि उपलब्ध कराये।

5- यह कि सहखातेदारों श्री शेरसिंह, समर सिंह, ऋषिपाल पुत्रगण लालसिंह नि0 ग्राम बेलडी साल्हापुर, परगना व तहसील रुडकी, जिला हरिद्वार को जो उक्त क्षतिपूर्ति मुआवजा जितने जितने धनराशि का दिया गया, धनराशि, चेक संख्या दिनांक का अभिलेखीय विवरण की सूचना, जिस खातेदार/सहखातेदार के बैंक खाता में दिया गया अथवा जिस माध्यम से जितना भुगतान दिया गया, की अभिलेखीय सूचना/प्रमाणित छाया प्रतिलिपि उपलब्ध कराये।

6- यह कि उक्त सहखातेदारों श्री शेरसिंह, समर सिंह, ऋषिपाल पुत्रगण लालसिंह नि0 ग्राम बेलडी साल्हापुर, परगना व तहसील रुडकी, जिला हरिद्वार की ओर से एवं अन्य विभागों जैसे उद्यान विभाग, वन विभाग आदि की ओर से उक्त पेड़ों को काटने के लिये जो अनापत्ति/अनुमति प्राप्त की गयी थी, जिसके आधार पर पेड़ काटे गये, की अभिलेखीय सूचना/प्रमाणित छाया प्रतिलिपि उपलब्ध कराये।

7- यह कि ऐसा अपुष्ट जानकारी में आया है कि उक्त सहखातेदारों ने जाली व फर्जी इन्द्राज उद्धरण खतौनी में कर कराकर पॉवर ग्रिड को धोखा देकर पेड़ों का मुआवजा प्राप्त किया गया है, ऐसे में उक्त विद्युत पारेशन लाईन स्थापित करने के लिये उक्त भूमि में खड़े पेड़ों पोपुलर, आम 95 पेड़, शीशम 7 पेड़, जमोया 5 पेड़, कुकाट 1 पेड़, लिप्टिस को वर्ष 2013, 2014, 2015 की जिस समयावधि में दौरान सर्वे लिये गये स्थलीय फोटोग्राफ आदि की अभिलेखीय सूचना/प्रमाणित छाया प्रतिलिपि उपलब्ध कराये।

आवेदक को उपरोक्त बिन्दु की अभिलेखीय सूचना/प्रमाणित छाया प्रतिलिपियों की यथाशीघ्रता से आवश्यकता है।

अतः आपसे प्रार्थना है कि आवेदक को उपरोक्त बिन्दुवार सूचना/प्रमाणित छाया प्रतिलिपि, जिस रूप में चाही गयी है, उस रूप में आवेदक के निम्नलिखित डाक पता पर उपलब्ध कराने की कृपा करें। अति कृपा होगी।

दिनांक 29-01-2024

आवेदक

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

रामकुमार चौधरी पुत्र स्व0 चौहल सिंह उर्फ चूहड सिंह  
नि0ग्राम लखनौता, परगना मंगलौर, तहसील रुडकी,  
जिला हरिद्वार, हाल नि0 चौधरी भवन, डिफेंस  
कालोनी, मोहनपुरा मौहम्मदपुर, परगना व तहसील रुडकी  
जिला हरिद्वार। मो0नं0 9719919400



सत्यमेव जयते



IN-UK01126316364813W

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp



**Certificate No.** : IN-UK01126316364813W  
**Certificate Issued Date** : 27-Jan-2024 01:58 PM  
**Account Reference** : NONACC (SV)/ uk1217504/ ROORKEE/ UK-HD  
**Unique Doc. Reference** : SUBIN-UKUK121750408900913295830W  
**Purchased by** : RAM KUMAR CHAUDHARY  
**Description of Document** : Article 24 Copy or Extract  
**Property Description** : NA  
**Consideration Price (Rs.)** : 0  
 (Zero)  
**First Party** : RAM KUMAR CHAUDHARY  
**Second Party** : RTI  
**Stamp Duty Paid By** : RAM KUMAR CHAUDHARY  
**Stamp Duty Amount(Rs.)** : 10  
 (Ten only)

सत्यमेव जयते



का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत वांछित सूचना/प्रमाणित छाया  
प्रतियां प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र का शुल्क

सेवा में,

Please write or type below this line

लोक सूचना अधिकारी/सक्षम अधिकारी  
पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, क्षेत्रीय मुख्यालय उत्तरी क्षेत्र-1  
एस0सी0ओ0 5 से 10, सैक्टर 16ए, निकट मैट्रो हॉस्पिटल,  
फरीदाबाद-121 002 हरियाणा।

दिनांक 29-01-2024

आवेदक

रामकुमार चौधरी पुत्र स्व0 चौहल सिंह उर्फ चूहड सिंह  
नि0ग्राम लखनौता, परगना मंगलौर, तहसील रुडकी, जिला  
हरिद्वार, हाल नि0 चौधरी भवन,डिफेन्स कालोनी,मोहनपुरा  
मौहम्मदपुर, परगना व तहसील रुडकी जिला हरिद्वार।  
मो0नं0 9719919400

**Statutory Alert:**

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



By Regd. Post



सेवा में

शुभ -

01 FEB 2024

4232

श्रीमती चंद्रा श्री. लखन सिंह  
इसके साथ चंद्रा शर्मा, दिल्ली  
मैट्रिक और एम.ए. के लिए, गुरुदास  
श्री. लखन सिंह (33333333) - 217667  
Mob. 9719919400

श्रीमती चंद्रा शर्मा / श्रीमती चंद्रा शर्मा

पति श्री लखन सिंह  
श्रीमती चंद्रा शर्मा  
कैम्प 16A, निकट मैट्रिक शैक्षणिक  
नं. 11014 - 121002

(हरियाणा)

20

सुरक्षा अधिनियम, 1949

सुरक्षा अधिनियम

सुरक्षा अधिनियम, 1949

सुरक्षा अधिनियम

सुरक्षा अधिनियम, 1949

